संख्या– /XXIV-2/08/ 01 (01)/2008

प्रेषक,

पी0एल0शाह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांक 01-अगस्त,2008

विषयः– वाद संख्या–15/2000 श्रीमती बसन्ती जुयाल बनाम राज्य व अन्य में मा0 जिला जज, देहरादून द्वारा पारित आदेशों के क्रम में रिट याचिका (एम/एस) सं0–3830/2001 (पुराना नं0–42759/2000) में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.2006 एवं निष्पादन वाद संख्या–01/2007 में मा0 जिला जज, देहरादून द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में धनराशि के भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–विधि प्रकोष्ठ/10/21168/2008–09, दिनांक 18 अगस्त, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वाद संख्या–15/2000 श्रीमती बसन्ती जुयाल बनाम राज्य व अन्य में मा0 जिला जज, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.8.2001 एवं 14.8.2001, जिनके विरूद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या 42759/2000 दायर की गयी थी, जो मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थानान्तरित होने पर रिट याचिका (एम0एस0) संख्या–3830/2001 के रूप में पंजीकृत हुई है, में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.2006 एवं तद्क्रम में याची श्रीमती बसन्ती जुयाल द्वारा दायर निष्पादन वाद संख्या–01/2007 में मा0 जिला जज, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.8.2007 की अनुपालना में 37 कर्जन रोड़, देहरादून पर स्थित भवन किराये की अवशेष कुल रू0 19.10.667.00 (रू0 उन्नीस लाख, दस हजार, छः सौ सड़सठ मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि का भुगतान उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त इसकी सूचना तत्काल शासन को दे दी जायेगी।

3– प्रकरण में हुए विलम्ब के लिए सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रस्ताव **एक माह के भीतर** शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को ही दोषी मानते हुए नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....2

2– इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–11–आयोजनेत्तर–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–101–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण, मानक मद–17–किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–230 (P) /वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–3/2008, दिनॉक 27 अगस्त,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव

संख्या– रिट/96 (1)/XXIV-2/08/ 01 (01)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– कोषाधिकारी, देहरादून।
8– जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ।
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
12– श्रीमती बसन्ती जुयाल पत्नी स्व0श्री विद्याधर जुयाल, 37 कर्जन रोड़, देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव